

मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग (MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION)

बाल देखभाल कार्यालय (Office of Child Care)

अतिरिक्त वयस्क आवेदन

तीन या चार शिशुओं/छोटे बच्चों की स्वीकृति के लिए आवेदन

1. इनके लिए अतिरिक्त वयस्क के रूप में आवेदन कर रहे/रही हैं:

पंजीकृत फैमिली चाइल्ड केयर प्रदाता का नाम: \_\_\_\_\_

पंजीकृत होम का पता: \_\_\_\_\_ अपार्टमेन्ट #: \_\_\_\_\_

शहर: \_\_\_\_\_ ज़िप कोड: \_\_\_\_\_ फोन #: \_\_\_\_\_

2. नाम: \_\_\_\_\_

कुलनाम नाम पिता/पति का नाम विवाह पूर्व का नाम

यदि आपके पहले कोई अन्य नाम रहे हों, तो कृपया लिखें: \_\_\_\_\_

स्त्री  पुरुष सोशल सिक्योरिटी #: \_\_\_\_\_ जन्म तिथि: \_\_\_\_\_

3. घर का पता: \_\_\_\_\_ अपार्टमेन्ट #: \_\_\_\_\_

शहर: \_\_\_\_\_ राज्य: \_\_\_\_\_ ज़िप कोड: \_\_\_\_\_

फोन #: \_\_\_\_\_ ई-मेल पता: \_\_\_\_\_

डाक पता (अगर घर के पते से अलग हो): \_\_\_\_\_

4. यदि इस समय काम कर रहे/रही हों, तो क्या आप कार्यस्थल पर कॉल ले सकते/सकती हैं?  हाँ  नहीं

यदि हाँ, तो अपने कार्यस्थल का फोन नंबर दें: \_\_\_\_\_

5. क्या आपको कभी भी किसी फौजदारी अभियोग के लिए दोषी ठहराया गया है, या फिर क्या आपको किसी फौजदारी अभियोग के मुकद्दमे के लिए प्रतीक्षा में रखा गया है?

हाँ  नहीं यदि हाँ तो स्पष्टीकरण दें: \_\_\_\_\_

6. क्या आपकी कभी भी बाल दुर्व्यवहार या लापरवाही के लिए रिपोर्ट की गई है?  हाँ  नहीं  
यदि हाँ, समझाएं: \_\_\_\_\_
7. क्या आपके पास इस समय या फिर कभी भी किसी अन्य काउंटी या राज्य में चाइल्ड केयर प्रदान करने के लिए लाइसेंस, पंजीकरण या प्रमाणन है?  हाँ  नहीं यदि हाँ, तो काउंटी और राज्य का नाम और लाइसेंस या पंजीकरण की तिथियाँ बताएं: \_\_\_\_\_
8. क्या कभी भी आपको किसी भी प्रकार का लाइसेंस, पंजीकरण या प्रमाणन प्रदान करने से इनकार किया गया है, उसे निलंबित किया गया है या फिर रद्द किया गया है?  हाँ  नहीं यदि हाँ, तो बताएं कब, कहाँ और एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण प्रदान करें: \_\_\_\_\_

### आवेदनकर्ता का कथन

मैं समझता/समझती हूँ कि मेरे आवेदन को स्वीकृति दी जा सके उससे पहले मुझे ऑफिस ऑफ चाइल्ड केयर (OCC) के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ OCC के प्रादेशिक कार्यालय में जमा कराने होंगे।

मैं समझता/समझती हूँ कि विनियम इस वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं और वहाँ से प्रिंट किये जा सकते हैं:

[http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/divisions/child\\_care/licensing\\_branch/regulat](http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/divisions/child_care/licensing_branch/regulat)

मैंने फैमिली चाइल्ड केयर पंजीकरण के लिए विनियम (COMAR 13A.15.01-15) पढ़े हैं। यदि मेरा अतिरिक्त वयस्क के रूप में सेवा प्रदान करने का आवेदन स्वीकार किया जाए, तो मैं उन विनियमों का पालन करने को सहमत होता/होती हूँ, जिनमें यह आवश्यकताएं शामिल हैं (लेकिन उन तक सीमित नहीं है)।

- मेरे आवेदन संबंधी किसी भी जाँच में सहयोग करना;
- बाल दुर्व्यवहार और लापरवाही के सभी संदिग्ध मामलों की उपयुक्त अधिकारियों को रिपोर्ट करना;
- विनियमों द्वारा आवश्यक सभी रिकॉर्ड बनाना;
- ऑफिस ऑफ चाइल्ड केयर द्वारा अनपेक्षित मुलाकातों की अनुमति देना;
- फैमिली चाइल्ड केयर विनियमों की आवश्यकतानुसार देखभाल किए जा रहे सभी बच्चों का निरीक्षण करना।

इस पूरे आवेदन फॉर्म में और सभी अन्य आवश्यक आवेदन दस्तावेज़ों में मैंने जो जानकारी दी है वह जहाँ तक मुझे पता है, सच्ची, सही और पूर्ण है।

हस्ताक्षर

तिथि